अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रेवदर

श्री मूलसिंह पु० मानसिंह बनाम श्री प्रवीणसिंह पु० पन्नुसिंह उर्फ राजपूत का० सरणका रेवड़ा हरिसिंह राजपूत सरणका रेवड़ा (4)

किस्म मुकदमा: अस्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा: 212 RTAA

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 34 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
31.5.18	यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थी/ प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण के विरूद्ध 212 RTAA के अंतर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया गया हैं । प्रार्थना पत्र से न्यायालय प्रथम दृष्टिया सहमत होने से प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी हो । पत्रावली आयन्दा वास्ते तामीली रिपोर्ट एवं जवाब हेतु दिनांक 6/8/18 को पेश हो । सहायक कलक्टर रेवदर, जिला-सिरोही	643 31/5/18
6.8.18	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी की मृत्यु हो गई है तथा उनके LRs प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली फायल दुरुपयोग होने नजर से रखी। (श्रीचन्द्रसिंह) RAS सहायक कलेक्टर S. D. O.) रेवदर	प्रार्थी के मृत होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है। एडवोकेट